

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 7(10)/दि.नि./Training/ICDS/2016/ 13/092-124 जयपुर दिनांक : 3.10.18

उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त

विषय:- आंगनबाडी कार्यकर्ता/सहायिका के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि कई बाल विकास परियोजनाओं में लंबे समय से चयनित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं, चयनित अथवा कार्यरत सहायिकाओं का कार्य प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन नहीं करवाया गया है।

अतः समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि "मेरी परियोजना में माह अगस्त 2016 तक कार्य प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन से वंचित कोई भी कार्यकर्ता अथवा सहायिका नहीं है। अथवा.....आंगनबाडी कार्यकर्ता एवं.....सहायिका कार्य प्रशिक्षण/ओरिएन्टेशन प्राप्त करने से शेष है।" यह सूचना अपने जिले के कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास को अविलम्ब भिजवाएँ। तथा उप निदेशक यह प्रमाण पत्र संकलित कर निदेशालय को 10 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

31.10.18  
(रामावतार मीणा)  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : F 7(10)/दि.नि./Training/ICDS/2016/ 13/125 जयपुर दिनांक : 3.10.18  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. उपनिदेशक/एसीपी, कम्प्यूटर सेल को भेजकर निवेदन है कि उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करे।

31.10.18  
(रामावतार मीणा)  
उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर